न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा जिला राजसमंद

(पाठासीन अधिकारी – मनसुख राम डामोर आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या – 61/2020 वाद
दायर दिनांक – 18/09/2020
निर्णय दिनांक – 18/02/2021

अनवान

1. शांति पत्नि भंवर लाल नायक निवासी फतहनगर तहसील [redacted] वादी

बनाम

1. भूमिधारक तहसीलदार, रेलमगरा जिला राजसमंद। प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरूस्त

निर्णय

वादीया की ओर से अधिवक्ता वाद बाबत स्वत्व घोषणा व ईन्द्राज दुरस्ती बाबत् प्रस्तुत किया कि ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा के वर्तमान् आराजी सं. 116, 117, 2269, 2270 के बाबत् एक वाद स्वत्व घोषणा, ईन्द्राज दुरूस्ती, विभाजन का न्यायालय में दिनांक 02/01/2011 को पेश किया। जिसमें दिनाकं 30/03/2011 को दर्ज हुआ प्रकरण सं. 06/2011 रे.वाद है। उक्त वाद को आप न्यायालय द्वारा दिनाकं 29/10/2015 को पीडी जारी की और दिनांक 29/06/2018 को प्रकरण में एफडी जारी करते हुये पूर्ण रूप से निर्णय ,कर दिया गया है। वादीगण द्वारा प्रकरण सं. 06/2011 जो आप न्यायालय में पेश किया गया उसमें मुझ वादीया को प्रतिवादी सं. 2दो के रूप में संयोजित किया गया जिसमें पक्षकार के रूप में वादीया का नाम "शांति पत्नि पोखर जाति नायक के नाम से पक्षकार बनाया बल्कि वादीया का नाम "शांति पत्नि पोखर नहीं होकर शांति पत्नि भंवरलाल है। प्रकरण सं. 06/2011 रे.वाद जो प्रस्तुत किया है उसमें वादीगण ने वादीया के पति का नाम ,पोखर गलत अंकित कर दिया गया है बल्कि पति का नाम भंवरलाल है। वादीगण ने बिना । जानकारी प्राप्त किये गलत तथ्य पर नाम पोखर अंकित किया है जो सर्वथा गलत है। प्रकरण सं. 06/2011 आप न्यायालय में पेश किया गया जो दर्ज रजिस्टर होकर वादीया के पास जो रजिस्टर्ड सूचना पत्र मय लिफाफा आया उसमे वादीया के पति का नाम गलत अंकित होने से लेने से इन्कार किया गया है और सम्मन पुनः आप न्यायालय में प्रस्तुत हुआ और पुनः डाक द्वारा सम्मन जारी किया गया जो लेने से वादीया द्वारा इन्कार किया गया जिससे आप न्यायालय द्वारा दिनांक 16/12/2011 को वादीया के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई और एक तरफा कार्यवाही होते हुये प्रकरण सं. 06/2011 रे.वाद को आप न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया। वादीया द्वारा कोई लापरवाही नही की गई है न ही कोई त्रुटी हुई है बल्कि वादीया के पति के नाम की जो त्रुटी हुई है वो प्रकरण सं. 06/2011 पेश किया उस समय हो गई। प्रकरण सं. 06/2011 के निर्णय होने से नामान्तरकरण सं. 4249 निर्णय हुआ उसमें शांति पति पोखर अंकित हुआ नामान्तरकरण के पश्चात् आज दिन तक के राजस्व रेकार्ड में वादीया के पति का नाम पोखर ही चलता आ रहा है और आराजी सं. 116, 117 में वादीया के पिता का नाम डालु अंकित है जो सही है। बल्कि प्रकरण सं. 06/2011 पेश हुआ उसमें त्रुटी हुई है उसमें वादीया की कोई गलती नहीं है। वादीया जो जब नकल की आवश्यकता हुई तब पता चला कि राजस्व रेकार्ड में वादीया के पति का नाम

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

ग़लत अंकित हुआ है।जिससे जो ईन्द्राज हुआ है उसे दुरूस्त कराने की आवश्यकता है और वादीया के पति का नाम पोखर को दुरूस्त कर भंवरलाल करने की आवश्यकता है एवं राजस्ट रेकार्ड में पोखर की जगह भंवरलाल । अंकित किये जाने की आवश्यकता है जिससे आप न्यायालय में उक्त वाद ईन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा तद्नुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन हेतु उक्त वाद आप न्यायालय में सादर प्रस्तुत है। वादीया का वाद हेतुक तब उत्पन्न हुआ जब उपरोक्त वर्णित आराजीयात् को अपने हिस्से को विक्रय करने हेतु वर्तमान् जमाबंदी की आवश्यकता हुई तो वादीया द्वारा दिनांक 27/08/2020 को उक्त आराजीयात् की जमाबंदी प्राप्त की तो पता चला कि वादीया के पति का नाम पोखर अंकित है। तो वादीया ने समस्त राजस्व रेकार्ड इकट्ठा कर आप न्यायालय में उक्त वाद प्रस्तुत किया है जिससे वादीया का वाद हेतुक दिनांक 27/08/2020 से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। वाद के पक्षकारान् एवं जो राजस्व रेकार्ड में त्रुटी हुई है वो आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार की है एवं वादग्रस्त सम्पति भी आप न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद का श्रवणा एवं क्षेत्राधिकार न्यायालय आपको अभिप्रेरित है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीया का वाद विरूद्ध प्रतिवादी स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की ईन्द्राज दुरूस्ती की घोषणा की डिकी प्रचलित फरमाई जावे कि - ग्राम रेलमगरा पटवार हल्का रेलमगरा में स्थित वर्तमान् आराजी सं. 2269, 2270 में वादीया का नाम शांति पत्नि पोखर । नायक को दुरूस्त कर शांति पत्नि भंवरलाल पुत्री डालु जी नायक अंकित किये जाने की घोषणात्मक डिकी जारी की जावें। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् में राजस्व रेकार्ड को दुरूस्त कर शांति पत्नि पोखर नायक के बजाये शाति पत्नि भंवरलाल पुत्र डालु नायक के नाम पर राजस्व रेकार्ड में अंकन किया जावें। अन्य कोई सहायता वादीया प्राप्त करने की अधिकारी हो वो दिलवाई जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गयी प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार ने स्वीकारात्मक जवाब पेश किया तथा वादी अपने वादपत्र के समर्थन में गवाह पीडब्लयू 1 एवं दस्तावेज जमाबंदी व नामान्तरकरण की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की गयी प्रकरण संख्या 06/11 वाद अणछी बनाम बदरीलाल की प्रमाणित प्रतियां एवं आधार कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी जिसमें वादीया का शांति पत्नि भंवरलाल अंकित है

अतः वादीया का वाद बाबत घोषणा इन्द्राज दुरस्ती स्वीकार किया जाकर ग्राम रेलमगरा के आराजी नम्बर 2269, 2270 में अंकित वादीया का नाम शांति पत्नि पोखर को दुरूस्त कर शांति पत्नि भंवरलाल नायक अंकन किये जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा को आदेश दिये जाते है पालना हेतु तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। इसी अनुरूप डिकी पर्चा कायम हो पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मनसुख राम डामोर)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी
रेलमगरा